बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023 / 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू, * राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार, * अनिल कुमार
कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक :– 42 दिनांक 24/5/2015

दिनांक 24.05.2015 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संधारित।

उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम प्रोन्नति अवरूद्ध होने के संदर्भ में चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक 04.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई है। इसके कारण अनु0जाति/जनजाति के साथ–साथ अन्य सभी वर्ग के पदाधिकारियों का प्रोन्नति बाधित है तथा वे सेवानिवृत्त हो रहे है जिन्हें प्रोन्नति के साथ–साथ पेंशन की राशि का भी नुकसान हो रहा है।

इस कारण संघ ने दिनांक 29.05.2015 को काला बिल्ला लगाकर कार्य करने का निर्णय लिया है तथा दिनांक 07.06.2015 को एक दिवसीय उपवास/धरना का कार्यक्रय कारगिल चौक पटना पर रखा गया है जिसमें सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। दिनांक 29.05.2015 की शाम में जिला इकाई द्वारा प्रतिवेदन समाहर्त्ता को सरकार को प्रेषित करने हेतु दिया जाएगा। जिलों में टीम बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया गया।

2. SGRY में खाघान्न की वसूली की सुनवाई मान्नीय उच्च न्यायालय में दिनांक 03.07.2015 को होना है न्यायादेश आने पर सदस्यों को सूचित किया जाएगा। इसका समादेश संख्या–19529/11 एवं 5638/11 है।

3. संघ भवन निर्माण/मुख्यमंत्री राहत कोष/वार्षिक चन्दा पर विचार किया गया। सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया यथाशीघ्र संघ द्वारा निर्धारित राशि संघ को उपलब्ध कराया जाए।

4. श्री धुर्जटी प्रसाद सिंह सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता (43rd बैच) का दिनांक 17.05.2015 को मेदान्ता में चल रहे ईलाज के दौरान निधन हो गया। जिला ईकाई भागलपुर द्वारा शोक संत्प्त परिवार को 2.00 (दो लाख) सहयोग राशि उपलब्ध कराया गया है। सदस्यों से वार्षिक चन्दा देने का अनुरोध किया गया जिसमें कल्याण कोष की राशि सम्मिलित है ताकि संघ की ओर से भी शोक संत्प्त परिवार को सहयोग राशि दी जा सके।

अन्त में दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :— कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य/आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव